

# Order Sheet [Contd]

Case No 88 / 12 विद्युत

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>पुनश्चयः-24.05.17</p> <p>परिवादी सहित श्री ए0के0श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।  आरोपी द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता।</p> <p>परिवादी की ओर से एन.सी.गुप्ता कनिष्ठयंत्री गोहद ग्रामीण एवं परिवादी के अधिवक्ता श्री ए0के0 श्रीवास्तव द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 257 सी.आर.पी.सी. का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के ऊपर अब किसी प्रकार की कोई विद्युत बिल की राशि शेष नहीं है और वह प्रकरण को वापस लेना चाहते हैं। अतः प्रकरण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>उभय पक्ष के तर्क सुने गए। परिवादी के अधिवक्ता ने इन तर्कों पर भी बल दिया है कि परिवादी की ओर से आरोपी पर परिवाद में जो दर्शित राशि दर्शाई गई है वह अब बसूल हो गई, इसी कारण परिवादी इस परिवाद को वापस लेना चाहता है।</p> <p>उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। प्रस्तुत परिवाद में आरोपी पर 102627/- रूपए की राशि बिल के रूप में बकाया होना दर्शाया है तथा अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन चलाने का भी आधार लिया गया है। साथ ही सम्पूर्ण राशि प्राप्त होने का भी आधार लिया है।</p> <p>अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए परिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 257 के अंतर्गत परिवाद को वापस लेने की अनुज्ञा देने के पर्याप्त आधार दर्शित होते हैं। अतः परिवादी को परिवाद वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>आरोपी रामदास को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद  जिला भिण्ड म0प्र0</p>	